

कार्यालय प्राचार्य, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय
आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छत्तीसगढ़) 492010

Web site-www.gacraipurcg.in

E-mail- ayurvediccollege@gmail.co

Tel./ Fax No.:- 0771-2263396

क्रमांक/पैरामेडिकल/2024/.....3107.....

रायपुर, दिनांक10/07/24

आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक 01 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 पाठ्यक्रम में
प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम की सूचना

काउंसिलिंग स्थान :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)
काउंसिलिंग दिनांक :- 01.08.2024 (गुरुवार)

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में संचालित आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म
सहायक 01 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर
विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की तैयार प्रावीण्यता सूची महाविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित की गयी
है। उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थी
इस सूचना को ही बुलावा पत्र मानते हुये काउंसिलिंग में अवसर लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

समय सारिणी

दिनांक	श्रेणी / संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	10+2 बारहवीं परीक्षा में विषयों (भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान) के कुल प्राप्तांक
01.08.2024 (गुरुवार)	अनारक्षित	प्रातः 08:30 बजे से 10:30 बजे तक	292 से 214 तक
	अनुसूचित जनजाति	प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक	287 से 214 तक
	अनुसूचित जाति	प्रातः 11:30 बजे से 12:30 बजे तक	291 से 269 तक
	अन्य पिछड़ा वर्ग	दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक	292 से 258 तक

सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्रों/ अंकसूचियों एवं उनकी दो सेट की
स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित काउंसिलिंग हेतु निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर उपस्थित होंगे।
उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी प्रवेश का अवसर खो देंगे। काउंसिलिंग में उपस्थित होना प्रवेश की गारंटी
नहीं है।

प्रमाण-पत्रों का क्रम :-

1. दो पासपोर्ट साईज फोटो।
2. 10वीं की अंकसूची।
3. 12वीं की अंकसूची।
4. गैप सर्टिफिकेट (अंतराल अवधि)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये।)
जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र के साथ जाति सत्यापन संलग्न किया है उन्हें भी काउंसिलिंग के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2023-24, 2022-23, 2021-22) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अभ्यर्थी के पिता का आय प्रमाण-पत्र।
8. सेवारत होने की स्थिति में नियोजक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)।
9. यदि उपनाम परिवर्तित है तो उपनाम परिवर्तन सम्बन्धी शपथ पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की दो सेट की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ में मूल प्रमाण पत्रों/अंकसूचियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होने पर उस संस्था के प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा है तो उस संस्था के प्रमुख द्वारा तत्संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अन्य कोई प्रमाण-पत्र जिसका उल्लेख आवेदन में किया गया है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

शुल्क :-

अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र), अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए रु. 6,000/- (छ: हजार रुपये मात्र) काउंसिलिंग के समय नगद/ ऑनलाईन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को पृथक से समय नहीं दिया जायेगा तथा उसका चयन निरस्त किया जायेगा।



प्राचार्य

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय

रायपुर (छ.ग.)